

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 461 / 14

संस्थापन दिनांक:-28 / 07 / 14

फाईलिंग नं. 233504004152014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

1. धन्नु पिता झिगरिया, उम्र 50 वर्ष
2. जगन्नाथ पिता झिगरिया, उम्र 40 वर्ष
 दोनों निवासी काजी जामठी,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 18.05.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो भा०दं०सं० के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 12.06.2014 को समय सुबह 09:00 बजे या उसके लगभग ग्राम काजी जामठी थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी द्वारकाबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी द्वारकाबाई को स्वेच्छया उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी द्वारकाबाई को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी द्वारकाबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 12.06.2014 को सुबह करीब 9 बजे फरियादी खेत में ट्यूबवेल की लगी पीवीसी पाईप अभियुक्तगण ने फोड़ दिया था। फरियादी द्वारा अभियुक्तगण से पाईप क्यों फोड़ा करने पर अभियुक्तगण ने उसे मादरचोद छिनाल की गंदी गंदी गालियां दी तथा उसके बाल पकड़कर हाथ थप्पड़ से पीठ में मारपीट की। अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना आमला में अपराध क. 431/14 पंजीबद्ध किया

गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया, मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में फरियादी द्वारकाबाई को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
6. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
7. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
8. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 07 का निराकरण

5 द्वारकाबाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसे गंदी गंदी गालियां दी थी। साक्षी बलराम (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसकी बेटी को गंदी गंदी गालियां दी थी। ?

6 साक्षी/फरियादी द्वारकाबाई (अ.सा.-1) एवं साक्षी बलराम (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय गंदी गंदी गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में साक्षी द्वारका (अ.सा.-1) ने व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसे कहा था कि तूझे मार देंगे रहने नहीं देंगे। इसके अतिरिक्त फरियादी या अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। यद्यपि साक्षी द्वारकाबाई (अ.सा.-1) ने प्रकट किया है कि अभियुक्तगण ने घटना के समय उसे मार देंगे रहने नहीं देंगे की धमकी दी थी। अभियुक्तगण द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण का उनके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। विवाद के समय दी गयी धौंस मात्र से अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04, 05 एवं 06 का निराकरण

8 द्वारका यादव (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उसे हाथ थप्पड़ से मारा था, बाल पकड़कर घसीटा था। बलराम (अ.सा.-2) ने साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए यह बताया है कि

अभियुक्तगण ने उसकी बेटी की मारपीट की थी।

9 डॉ. ललिता पाटिल (अ.सा.-3) ने उसके न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि उसने दिनांक 13.06.2014 को सीएचसी आमला में महिला चिकित्सक के पद पर पदस्थ रहते हुए आहत द्वारकाबाई का परीक्षण किये जाने पर आहत की पीठ में दर्द की शिकायत होना प्रकट करते हुए उसके द्वारा दी गयी चिकित्सकीय रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-3) को प्रमाणित किया है।

10 सत्यनारायण पांडे (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन कथन दिनांक 15.06.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को अपराध क्र. 431/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-2) तथा दिनांक 11.07.2014 को अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-4 एवं प्रदर्श पी-5 का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना बताते हुए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।

11 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में साक्षी बलराम फरियादी का पिता होकर हितबद्ध साक्षी है तथा उभयपक्ष के मध्य पूर्व से रंजिश है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि मात्र हितबद्ध साक्षी होना ही किसी साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का आधार नहीं होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **वीरेंद्र पोददार विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 233** में यह प्रतिपादित किया गया है कि रिश्तेदारी किसी गवाही की साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने का आधार नहीं हो सकती है। ऐसे गवाह की साक्ष्य की सावधानी से छानबीन अपेक्षित है।

13 द्वारका यादव (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि सुबह के लगभग 10-11 बजे ग्राम काजी जामठी स्थित खेत पर वह पानी ओलने के लिए जा रही थी तभी अभियुक्तगण ने उसके खेत का पाईप तोड़ दिया और पाईप के उपर ट्रैक्टर चला दिया। साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि जब उसने अभियुक्तगण को पाईप तोड़ने से मना किया तो अभियुक्तगण ने उसे हाथ थप्पड़ से मारा और बाल पकड़कर घसीट दिया। बलराम (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के दिन अपनी बेटी के यहां आया हुआ था। अभियुक्तगण ने ट्रैक्टर चलाकर उसकी बेटी के पाईप

तोड़ दिये थे और उसकी बेटी के साथ मारपीट की थी।

14 द्वारका यादव (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण से घटना के पहले से जमीन के बंटवारे को लेकर रंजिश है। अभियुक्तगण ने उसे बंटवारे में कम जमीन दी है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 03 में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्तगण उसे खानदानी कुएं से पानी नहीं ले जाने देते हैं और पाईप फोड़ दिये थे इसी बात का विवाद है। साक्षी ने पैरा क्र. 04 में यह बताया है कि घटना के समय उसके पिता घटना स्थल पर मौजूद थे। बलराम (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 02 में यह बताया है कि उसकी बेटी का अभियुक्तगण से पूर्व से जमीनी विवाद चला आ रहा है। पैरा क्र. 06 में साक्षी ने यह बताया है कि घटना लगभग सुबह 10-11 बजे की थी और वह घटना वाले दिन अपने गांव से मोटर सायकिल से अपनी बेटी के गांव जामठी गया था और घटना के समय वह मौके पर ही था और साक्षी ने यह भी बताया है कि मोटर सायकिल से थाना जाने में लगभग आधा घंटा लगता है। पैरा क्र. 07 में साक्षी ने यह बताया है कि यदि अभियुक्तगण फूटे हुए पाईप का खर्चा दे देते तो वह रिपोर्ट नहीं करता। साक्षी ने पैरा क्र. 05 में यह बताया है कि वह अपनी बेटी को साथ लेकर थाने में गया था और मौखिक रिपोर्ट लिखायी थी।

15 अभियोजन कथा अनुसार घटना के समय मौके पर बलराम यादव एवं अर्जुन यादव थे तथा फरियादी रिपोर्ट करने अपने भाई सालकराम यादव के साथ आयी थी। जबकि बलराम यादव (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह अपनी बेटी को थाने लेकर रिपोर्ट करने आया था। घटना दिनांक 12.06.2014 की सुबह 9 बजे की है। जबकि घटना की रिपोर्ट दिनांक 13.06.2014 को दिन के लगभग 1 बजे की गयी है। वाहन उपलब्ध होने के बाद भी घटना दिनांक को ही घटना की रिपोर्ट न किये जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण साक्षियों के कथनों से प्रकट नहीं हो रहा है। आहत द्वारका यादव (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया है कि जब अभियुक्तगण ने उसके साथ मारपीट की थी तो उसे कहां-कहां चोटें आयी थी। आहत के चिकित्सकीय परीक्षण में कोई भी बाह्य चोट आहत को नहीं पायी गयी है, मात्र पीठ में दर्द होना पाया गया था। यदि दो व्यक्ति किसी की मारपीट करें जिनके मध्य पूर्व से ही रंजिश हो तब उस स्थिति में आहत को कोई भी चोट न आये ऐसा अस्वाभाविक प्रतीत होता है।

16 फरियादी द्वारका यादव (अ.सा.-1) ने द्वारा विलंब से रिपोर्ट लेख करायी गयी है जिसका कोई स्पष्टीकरण साक्षी के कथनों से प्रकट नहीं हुआ है। आहत द्वारका यादव को आयी चोट चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थित भी नहीं है। बलराम यादव (अ.सा.-2) जिसने मौके पर अपनी उपस्थिति बतायी है उसने

भी स्पष्ट कथन नहीं किये हैं कि अभियुक्तगण द्वारा उसकी बेटी की मारपीट किये जाने से उसकी बेटी को कहां चोटें आयी थीं। उभयपक्ष के मध्य रंजिश पूर्ण रूप से स्थापित है। अतः उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है। अतः अधिवक्ता का तर्क उचित प्रतीत होता है। फलतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 08 का निराकरण

17 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी द्वारकाबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी द्वारकाबाई को स्वेच्छया उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी द्वारकाबाई को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी द्वारकाबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्तगण धनू एवं जगन्नाथ को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323/34, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

18 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

19 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)